दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 3 सितम्बर, 2021
निर्णीत : 15 सितम्बर, 2021

फौ. अ. 138/2020

राजेश ....अपीलकर्ता

द्वारा: सुश्री सुनीता अरोड़ा, अधिवक्तागण / दि.उ.न्या.वि.से.स. ।

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रवि नायक, राज्य के अति.लो.अभि संग उप.नि. उदय, थाना स.पु.बादली |

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

निर्णय

1. वर्तमान अपील द्वारा, अपीलकर्ता दिनांक 26 अगस्त, 2019 के

निर्णय को चुनौती देता है, जिसमें अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 354/354ए/323 सह पठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में पोक्सो अधिनियम) की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया था और दिनांक 30 अगस्त, 2019 के दंडादेश, जिसमें अपीलकर्ता को पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पांच साल के कठोर कारावास और रु 5,000/- का जुर्माना अदा करने के साथ भा.दं.सं. की धारा 354 और धारा 354ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास तथा भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए छह महीनों के कठोर कारावास का निर्देश दिया गया था तथा सभी सजाओं को समवर्ती रूप से जारी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि इस कारण से अधिकृत नहीं है तथा अवैध है क्योंकि अभियोक्त्री की आयु प्रमाणित नहीं की गई है और आयु के प्रमाण के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोक्त्री नाबालिग थी, इस प्रकार पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध का आवश्यक घटक गायब है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री का भरण पोषण करने वाला पिता था तथा उसकी भलाई चाहता था । अभियोक्त्री के अनुसार भी, अपीलकर्ता को उसका स्कूल से देर से आना और लड़कों के साथ जाना पसंद नहीं था । इस प्रकार अपीलकर्ता केवल उसे अनुशासित कर रहा था जिसके कारण वह नाराज हो गई और उसने विचाराधीन प्राथमिकी दर्ज कर दी । अपीलकर्ता

की दोषसिद्धि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर आधारित है। अभियोक्त्री की मां और उसकी छोटी बहन चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उनकी गवाहियों को अनुश्रुत साक्ष्य होने के आधार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। चूंकि पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध नहीं बनता है और अपीलकर्ता की सजा का शेष हिस्सा अब केवल तीन महीने का है, अपीलकर्ता को काट ली गई सज़ा की अवधि के आधार पर रिहा किया जाना चाहिए, यदि इस न्यायालय को, गुणागुण के आधार पर, लगे कि सजा को बरकरार रखने के लिए भा.दं.सं. की धारा 354 / 354ए / 323 के तहत मामला बनता है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रतिवाद करते हुए राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने प्र.अभि.सा-10क के रूप में स्कूल अभिलेख के

द्वारा अभियोक्त्री की आयु विधिवत साबित की है, जिससे पता चलता है कि अभियोक्त्री का जन्म दिनांक 20 जनवरी, 2002 को हुआ था और इस प्रकार घटना की तारीख, यानी दिनांक 23 सितंबर, 2016 को वह नाबालिग थी । घटना के तुरंत बाद, अभियोक्त्री ने एक पीसीआर कॉल किया और चिकित्सीय जांच की गई जो उसके शरीर पर चोट के निशान दर्शाती है । कथित घटना के बाद, अपीलकर्ता एक और मामले में शामिल था, जिसमें अभियोक्त्री की शिकायत पर भा.दं.सं. की धारा 509 और पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत थाना समयपुर बादली में प्राथमिकी सं. 970/2017 को दर्ज किया गया था जो अपराध कथित रूप से तब किया गया था जब अपीलकर्ता को उपरोक्त मामले के विचारण के दौरान ज़मानत पर रिहा किया गया था ।

4. अभियोजन पक्ष का मामला अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की गवाही पर आधारित है जिसने कहा कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी, उसका एक 12 साल का भाई और एक 11 साल की बहन थी । उसके पिता एक शराबी थे और दिनांक 23 सितंबर, 2016 को दोपहर लगभग 01:00 बजे जब वह स्कूल से वापस आई और उसकी माँ घर पर नहीं थीं, उसका पिता बुरी तरह नशे की हालत में घर पर मौजूद था । उसने अभियोक्त्री से पूछा कि वह स्कूल से देर से क्यों आई थी, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे देर नहीं हुई है और वह अपनी परीक्षा के बाद सीधे घर आई थी । इस पर अपीलकर्ता ने उसे घर के अंदर खींच लिया, उसे गाली देना शुरू कर दिया, उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी छाती को ज़बरदस्ती छुआ । उसने दरवाजा बंद कर दिया और बेरहमी से उसका शोषण किया । वह अत्यंत पीड़ा से रो

रही थी । इसी बीच, उसकी छोटी बहन ने आकर दरवाजा खटखटाया। जब अपीलकर्ता ने दरवाजा खोला तो वह बाहर गई और पुलिस को बुलाया। उसका बयान उसी दिन प्र.अभि.सा.-1/क के रूप में दर्ज किया गया था और उसकी चिकित्सीय जांच की गई । अभियोक्त्री का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत भी दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने द्वारा लगाए आरोपों को दोहराया जो कि प्र.अभि.सा.-1/ख के रूप में दिए गए बयान में प्रदर्शित था। अभियोक्त्री ने न्यायालय के समक्ष यह भी बताया कि किया कि शराब पीने के बाद अपीलकर्ता नशे में होने का फायदा उठाते हुए उसे गलत ढंग से छूता था।

5. न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री का प्रतिपरीक्षण किया गया, हालांकि, कुछ भी ठोस निकल कर नहीं आया । उसने कहा कि जब उसकी बहन आई और दरवाजा खोला गया, तो उसकी बहन

ने उसे रोते हुए देखा और पता चला कि अपीलकर्ता ने उसे पीटा था। उसकी मां सीधे थाने आई थी और उसकी मां के आने से पहले ही पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया था। उसने बताया कि अपीलकर्ता ने उसे नशे की हालत में न रहते हुए कभी भी नहीं छुआ था। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि जब उसने अपीलकर्ता के पीने की आदत पर आपत्ति जताई, तो उसने उससे झगड़ा किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता उसे देर से आने के कारण नियमित रूप से डांटता था, हालांकि वह कभी देर से नहीं आई, लेकिन अपीलकर्ता उस पर देर से आने का आरोप लगाया करता था और उसे लड़कों की संगति में रहने के लिए भी डांटता था, जबकि वह कभी भी लड़कों की संगति में नहीं रहती थी। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि उसके पिता ने कभी भी उसका यौन उत्पीड़न

नहीं किया था या उसने शराब पीने की आदत के कारण उसे झूठा फंसाया था।

6. अभियोक्त्री की मां (अभि.सा.-2) का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया जिसने बताया कि अभियोक्त्री ने उसे बताया कि अपीलकर्ता ने कमरे के मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद उसकी पिटाई की और 'हाथ चलाया था'। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 'हाथ चलाया था' के अर्थ के सन्दर्भ में पूछे जाने पर मां ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता ने अपनी बेटी के साथ अनुचित तरीके से उसके स्तन को छूकर दुर्व्यवहार किया और उसको नाखून मारे थे। उसने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने उसे धमकी दी कि 'पहले भी तुमने मुझे केस में बंद कराया था, इस बार सच्ची में बलात्कार करके जेल जाऊंगा मैं'।

7. अभियोक्त्री की मां ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि उसने इस घटना को घटित होते हुए नहीं देखा था और अपीलकर्ता उसका दूसरा पति था, यानी अभियोक्त्री का सौतेला पिता और यह भी कि उसने अभियोक्त्री के जन्म के सही वर्ष को नोट नहीं किया । उसने इस सुझाव का खंडन किया कि अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता की बात नहीं सुनी या उसका पालन नहीं किया ।

8. अभियोक्त्री की छोटी बहन (अभि.सा.-8) का बयान भी दर्ज किया गया था, जिसने बताया कि दिनांक 23 सितंबर, 2016 को दोपहर लगभग 01:00 बजे जब वह घर वापस आई, तो दरवाजा बंद था । उसने दरवाजा खटखटाया जो अपीलकर्ता द्वारा खोला गया था, जो नशे में था और दरवाजा खोलने के बाद वह घर से बाहर चला गया । उसकी बड़ी बहन कमरे में थी और रो रही थी । उसने उसे बताया कि अपीलकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा, दरवाजा

बंद कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी छाती पर प्रहार किया और उसे आपत्तिजनक शब्दों के साथ गलियां दी। उसने कहा कि जब उसकी माँ घर वापस आई तो उसने ये सभी बातें अपनी माँ को बताईं।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में अपीलकर्ता ने सभी तथ्यों से इनकार किया और कहा कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। उसका स्पष्टीकरण यह था कि अभियोक्त्री की सलमान और रवि के साथ दोस्ती थी, जिसके कारण उसने उसे सुधारने के लिए डांटा और उसे उन लड़कों के साथ अपनी दोस्ती तोड़ने के लिए कहा, जिसके कारण उसने उसे मामले में झूठा फंसाया। जहाँ तक अपीलकर्ता की पत्नी के बयान का संबंध है, उसने कहा कि चूंकि वह उससे

अलग रहना चाहती थी, इसलिए उसने उसके खिलाफ बयान दिया। अपीलकर्ता ने कोई भी बचाव गवाह नहीं पेश किया ।

10. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार ही अभियोक्त्री दोपहर 01:00 बजे तक घर पहुंच गई थी, जब यह घटना हुई । एक मात्र तथ्य यह है कि अभियोक्त्री दोपहर 01:00 बजे घर पहुंची, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह स्कूल के बाद समय पर घर आ गई थी और इसलिए अपीलकर्ता का यह स्पष्टीकरण कि लड़कों के साथ घूमने के कारण अभियोक्त्री देर से आया करती थी बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है । अभियोक्त्री की एमएलसी घटना की तारीख को ही करायी गई थी, जिसमें अभियोक्त्री की बाहों पर नीले रंग के निशान पाए गए थे और चोट की प्रकृति सामान्य मानी गई थी ।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियोक्त्री नाबालिग थी और इसलिए पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

12. अभियोजन पक्ष ने उस स्कूल के एक शिक्षक की अभि.सा.-10 के रूप में गवाही पेश की है जहाँ अभियोक्त्री पढ़ रही थी, जो स्कूल की फाइल के साथ दाखिले और निकासी रजिस्टर भी साथ लाया, जो स्कूल में नियमित पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों के सन्दर्भ में बनाया गया था । दाखिला रजिस्टर के अनुसार, अभियोक्त्री को दिनांक 6 जुलाई, 2007 को स्कूल में दाखिला संख्या 4575 के माध्यम से प्रथम कक्षा में दाखिला दिया गया था और उसकी जन्म तिथि 20 जनवरी, 2002 उल्लिखित की गई थी । दाखिला रजिस्टर, दाखिला प्रपत्र

और दाखिले के समय मां द्वारा दिए गए शपथपत्र के प्रासंगिक हिस्से की सत्यापित प्रति क्रमशः प्र.अभि.सा.-10क, अभि.सा.-10ख और अभि.सा.-10ग के रूप में प्रदर्शित की गई।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, स्कूल में उल्लिखित अभियोक्त्री की आयु मां द्वारा दिए गए शपथपत्र पर आधारित है, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है । एक अन्य दस्तावेज में अर्थात दाखिले और निकासी रजिस्टर में, अभियोक्त्री की जन्म तिथि 21 जनवरी, 2003 उल्लिखित की गई है।

14. निस्संदेह, स्कूल के रनिंग रजिस्टर में एक विसंगति है जहां यह ध्यान दिया गया है कि अभियोक्त्री का कक्षा-1 में दाखिला कराया गया था और मां द्वारा दिए गए शपथपत्र के आधार पर उसकी जन्म तिथि 20 जनवरी, 2002 थी, हालांकि, दाखिले और

निकासी रजिस्टर में तिथि का उल्लेख 21 जनवरी, 2003 के रूप में किया गया है, जो एक टंकण की त्रुटि प्रतीत होती है, लेकिन जैसा भी हो, अभियुक्त के पक्ष में लाभ देते हुए और अभियोक्त्री की उल्लिखित जन्म तिथि को उसके स्कूल में प्रथम बार दाखिला लेते समय 20 जनवरी, 2002 के रूप में स्वीकारते हुए स्पष्ट है कि दिनांक 23 सितंबर, 2016 को कथित घटना के समय अभियोक्त्री नाबालिग थी । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए सबूतों के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह साबित नहीं हुआ है कि अभियोक्त्री नाबालिग थी । इसके अलावा अपीलकर्ता अभियोक्त्री का भरण पोषण करने वाले पिता होने के नाते, धारा 9(एन) में परिभाषित यौन उत्पीड़न का अपराध किया गया है, जो कि पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें पांच वर्ष की अवधि के लिए कारावास की

न्यूनतम सजा, जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, का प्रावधान है । अपीलकर्ता को पांच साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और भा.दं.सं. की धारा 354/354ए/323 के तहत अभियोक्त्री के अन्य आरोपों को भी घटना के तुरंत बाद करायी गई एमएलसी द्वारा साबित किया गया है, इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश में कोई त्रुटि नज़र नहीं आती है ।

15. अपील खारिज की जाती है ।

16. आदेश की प्रति अभिलेखों के उद्दिनांकन तथा अपीलकर्ता को संसूचना हेतु अधीक्षक, केंद्रीय कारागार को प्रेषित की जाए ।

<u>फौ.वि.(ज़मानत) 225/2020</u>

1. आवेदन निष्फल होने के कारण खारिज किया जाता है

2. इस न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए ।

न्या. मुक्ता गुप्ता

15 सितम्बर, 2021

'वीएन'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|